

10.01.22

वकील उभय पक्ष उपर। वकील अपी. द्वारा आज भी
इल्को. 2, 3 व 4 के सम्मन पेश नहीं किये आज भी
अक्सर -चाहते हैं। आदेशिका दि. 16.11.21 के अनुसार
पत्रावली आ० 9 नि. 5 के तहत अदम तक प्रील में
रवारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम की जाये, बाद जाणा दाखिल दफतर
ये।

सुनयन अधिकारी,

पदेम

उच्च न्याय परिषदादी

जयपुर संस-सीधपुर